रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1994] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2015/भाद्र 26,1937
No. 1994] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015/BHADRA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2015

का.आ. 2542(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी देशान्तर 73°2' से 73°30' और उत्तरी अक्षांश 25° 00' से 25°40' के बीच अरावली में स्थित 475.235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राजस्थान का एक सबसे बड़ा अभयारण्य है और तीन राजस्व जिले अर्थात अजमेर, पाली और राजसमन्द के भीतर आता है और राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 (1) के उपबंधों के अधीन राजस्थान सरकार अधिसूचना सं. एफ II (56) रेव-ग्रुप-8/82 तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा अधिसूचित है।

और जहाँ, उक्त अभयारण्य के वन, चैपियन एवं सेठी वर्गीकरण के अनुसार शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत आते हैं। विविध उप प्रकार तथा उनके सहायक इडाफिक और क्रमिक प्रकार उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन के रूप से जाने जाते हैं। मुख्य वृक्ष प्रजातियां एनोगियासिस पेन्डूला, बोसविलिया सेराटा, बूटिया, मोनोस्पुमा, जिजयाफूस मूरीवियाना, और अकाकिया केचिचू इत्यादि हैं।

और जहाँ, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में विविध प्रकार के वनस्पति एवं जीवजन्तु और विविध आश्रयस्थल हैं । स्लोथ बियर, लियोपार्ड, हेयना, जंगल कैट, वोल्फ, पैथन, चिंकारा, ग्रे जंगल फाउल इत्यादि प्रमुख जीव-जन्तु प्रजातियाँ पाई जाती हैं ।

और जहाँ, अत्यधिक चराई, पेड़ की कमी से भूमि अपरदन से पर्यावरण में अत्यधिक गिरावट के कारण पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इस लिए अभयारण्य में प्राकृतिक संसाधनों तथा वनस्पतियों एवं जीव-जन्तु संकटापन्न स्थिति में आ गये हैं ।

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन दक्षिण दिशा को छोड़कर टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर तक है और इसका विस्तार 202.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है । पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** पर दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के अजमेर, पाली और राजसमन्द जिलों में 193 ग्रामों तक फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II ख** उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसके अक्षांश और देशान्तर के साथ सीमा के जीपीएस निर्देशांक **उपाबंध III क** पर उपाबद्ध है ।

(5) टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ- साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक विवरण और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन **उपाबंध III ख** उपाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(4) आचंलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिक ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) सिचाई ; और
(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिकीयजन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।

(9) राजस्थान राज्य सरकार अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए आंचलिक महायोजना तैयार करेंगी।

3 **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 11, 17, 23, 29 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का सन्निर्माण;

(ii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(iv) वर्षा जल संचय, और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) पर्यटन – (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना, राजस्थान सरकार पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और विश्रामस्थलों का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(3) **नैसर्गिक विरासत** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना जोनल मास्टर प्लान का भाग होगा ।

(4) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(5) **ध्वनि प्रदूषण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(6) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **बहिस्राव का निस्सारण** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(8) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(9) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** .- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(10) **यानीय परिवहन** .- परिवहन की यानीय गतिविधि प्राणीयों के अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और जब तक ऐसी आंचलिक महायोजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी

द्वारा तैयार और अनुमोदित नहीं किया जाता है | मानीटरी समिति सुसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों नियमों और विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी |

(11) **औद्योगिक इकाईयां –**

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों के किसी स्थापन की अनुज्ञा विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नहीं दी जाएगी |

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग के किसी प्रस्थापन की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी |

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खदानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकता के लिए मकान का सन्निर्माण या मरम्मत करने हेतु देशी टाइल्स या ईटों के विनिर्माण के लिए भूमि की खुदाई के सिवाय प्रतिषिद्ध होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन् थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या भू-क्षेत्र में अनपचारित बहिस्रावि और ठोस अपशिष्टों का निस्तारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे । परन्तु यह और कि विद्यमान आरा मशीनों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी समाप्ति की अवधि पर नहीं किया जाएगा ।

(9)	मछली पकड़ना ।	ओरयी और टोढागढ़ रावली बांध सहित सभी जल निकायों में मछली पकड़ने पर पूर्ण रोक रहेगी ।
(10)	पोलीथीन बैग का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
विनियमित क्रियाकलाप		
11.	होटल और विश्राम स्थलों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा|
12.	सन्निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी । परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संक्षरित वनों की दशा में कार्य योजना निर्देश का पालन किया जाएगा ।
14.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
15.	विद्युत केबलों, परेषण लाइनों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
16.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
19.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
22.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं।
24.	वन उत्पादों और गैर कांस्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	वायु और यानीय प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे रोप-वे, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	आंचलिक महायोजना के उपबंधों के अनुसार या मानिटरिंग समिति की सिफारिश तक अनुज्ञा दी जा सकती है।
अनुमत क्रियाकलाप		
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
31	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
33	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायो गैस, सोलर लाइट आदि को बढ़ावा दिया जाए।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलेक्टर, राजसमन्द और पाली — अध्यक्ष

(ख) निम्नलिखित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी: लोक निर्माण विभाग, खनन, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, नगर परिषद, उद्योग, शहरी विकास प्राधिकरण — सदस्य

(ग) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, — सदस्य

(घ) वन्यजीव वार्डन, राजसमन्द — सदस्य

(ङ) परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक विशेषज्ञ राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय — सदस्य

(च)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष के लिए नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
(छ)	उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द/पाली	सदस्य
(ज)	खंड विकास अधिकारी, राजसमन्द/पाली	सदस्य
(झ)	उप वन संरक्षक, पाली/राजसमन्द/अजमेर	सदस्य
(ञ)	उप मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमन्द	सदस्य-सचिव

निर्देश शर्तें -

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 (1986 का 29) के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को उपाबंध III में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/53/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध –I

पारिस्थितिक संवेदी जोन, टोडगढ़ रावली का सीमा विवरण

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन, टोडगढ़ रावली का सीमा विवरण :

उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन, अभयारण्य कि बाह्य सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र सिवाय दक्षिणी दिशा के जहाँ इसकी सीमा कुंभलगढ़ अभयारण्य से सामान सीमा बनाती है तक होगा।

उपाबंध -II

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची			
क्र.सं.	गांवों के नाम	क्र.सं.	गांवों के नाम
1.	धनावतो का गुदा नगवी	31.	सिमात
2.	बरजलिया गुदा	32.	नई फूलाद
3.	भागावर	33.	सिरयारी
4.	बोरमिदा	34.	जिनजरदी
5.	रावतो का गुदा	35.	जेरकिया
6.	मयाला गुदा	36.	माता जी का खेड़ा
7.	रधजालर	37.	ओम जी का गुदा
8.	उपारली निम्बारी	38.	सरबरी बी
9.	निचाली निम्बारी	39.	पीतमपुरा
10.	तेलपुरा	40.	वीरावास
11.	सिन्चियावास	41.	डोल जी का खेड़ा
12.	बरातो का गुदा	42.	जीरन
13.	सारन	43.	सोलकियो का गुदा
14.	धाल (फुलद)	44.	ससारियास
15.	गागा का गुदा (II)	45.	मंधावारा
16.	हालावत	46.	भागलपुर
17.	राजी का गुदा	47.	कुबनथाल
18.	जूनी फूलाद	48.	मिलियो का खेड़ा
19.	गानवत	49.	पीताखेड़ा
20.	करवारा	50.	चुन्दी
21.	बासोत	51.	तरका
22.	धेलपुरा	52.	कल्यानपुर
23.	भगोरा	53.	चोकरिया
24.	गुदा भोपत	54.	जोजावर
25.	करनाल	55.	व्यपारी
26.	भोगाला	56.	सुर सिह का गुदा
27.	गगा का गुदा (I)	57.	कन्तलिया
28.	सादा कि धानी	58.	गोपीनाथ का गुदा
29.	दिगोत	59.	खखरिया
30.	वरदियामाली	60.	कयावला

61.	समरिया	102.	मथवावारा
62.	कोट सोलकियन	103.	हलेला
63.	नयागांव	104.	नरदास का गुदा
64.	कोलार	105.	बियाना
65.	पनौता	106.	देगाना
66.	संसारी I	107.	किशनपुरा
67.	संसारी II	108.	दरदरदा
68.	भागोल	109.	मंदवारा
69.	मगहानला	110.	छतरपुर
70.	सुर सिह का गुदा	111.	कचबली
71.	कमले	112.	सिरोला
72.	कमली	113.	पिपली
73.	असान	114.	छेला
74.	कमलीघाट	115.	मोनागुदा
75.	बुधवास	116.	बगाना
76.	सबदरी	117.	बरजल
77.	चितराई	118.	वाली
78.	चरदा	119.	लखागुड़ा
79.	तलवार	120.	तोरिया
80.	सिमर	121.	बगाद
81.	रघुनाथपुर	122.	अंतालिया
82.	तेगी	123.	कनियाना
83.	सुलिया	124.	खेरजामरा
84.	रत्ना का गुदा	125.	टेक का छोरा
85.	तोकारा	126.	जुथारा
86.	ननाना	127.	धोलिया
87.	तपालो का खेड़ा	128.	थोलिया
88.	उमराज	129.	टोडगढ़
89.	बस्सी	130.	दूधलिया
90.	गोदलिया	131.	मलानो कि बेर
91.	नारायण जी का बीरा	132.	मदरिया
92.	वुजारेल	133.	बोरी
93.	रोधियाना	134.	रामपुर
94.	नगरिया	135.	बाराल
95.	श्रवण	136.	कालाखेरी
96.	रनाता भगवानपुरा	137.	चिरयाबाद
97.	सातूखेड़ा	138.	जवाजा
98.	भगमल	139.	शिवनगर
99.	बामलहेरा	140.	देवखेडा
100.	देवल फतेहपुर	141.	खेरानबारा
101.	खोरमल	142.	खाखदा

143.	समदारिया	177.	नईखुरर्द
144.	रोदवास	178.	पुवरिया
145.	जूनापिस (धाकी)	179.	केलवास
146.	गजनाई	180.	कनकहिजारी
147.	खिरईया	181.	कनौत का बेर
148.	खरनी खेड़ा	182.	गुरजारगरमा
149.	बलातो का तालाब	183.	नदा
150.	हरियामली	184.	धरमतलाई
151.	खर खेड़ा	185.	कुण्डल
152.	गुदासयामा	186.	कडिप्पा
153.	गुदाचुतारा	194.	लसुरर्द
154.	बड़ागुदा	195.	हिक्रन (कल्लाई)
155.	गुदा राम सिह	196.	हिक्रन का बारई
156.	हिरवास	197.	कलाईया
157.	सम्पा	198.	कहनपथ
158.	पिप्ली बावड़ी	199.	बगरी
159.	पल्लारी	200.	बेलपाना
160.	बिन	201.	सिरमा
161.	बनजारा	202.	कोट
162.	मिवासा	203.	सोभागपुरा
163.	गणेशपुरा	204.	गोवल
164.	घोलाघाटा	205.	चोकरी
165.	बारा चराहट	206.	देवा ज़ी का गुदा
166.	गोगेला	207.	जवार्लिया
167.	लूनेटा	208.	नाथ जी का गुदा
168.	बारा खेड़ा	209.	नवा जी का गुदा
169.	अरनाली	210.	देवारो का गुदा
170.	कंकरोद	211.	कितेला
171.	बरखन	212.	कनकरिया
172.	अहसन	213.	खेरा
173.	देवलता	214.	बन्सा
174.	भगवानपुरा	215.	गुदा भगवालन
175.	निम्बारो खेड़ा	216.	बोरिया नदी
176.	नईकाला	217.	बालूपुरा

उपाबंध–III क

अक्षांशों और देशान्तरों के साथ टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

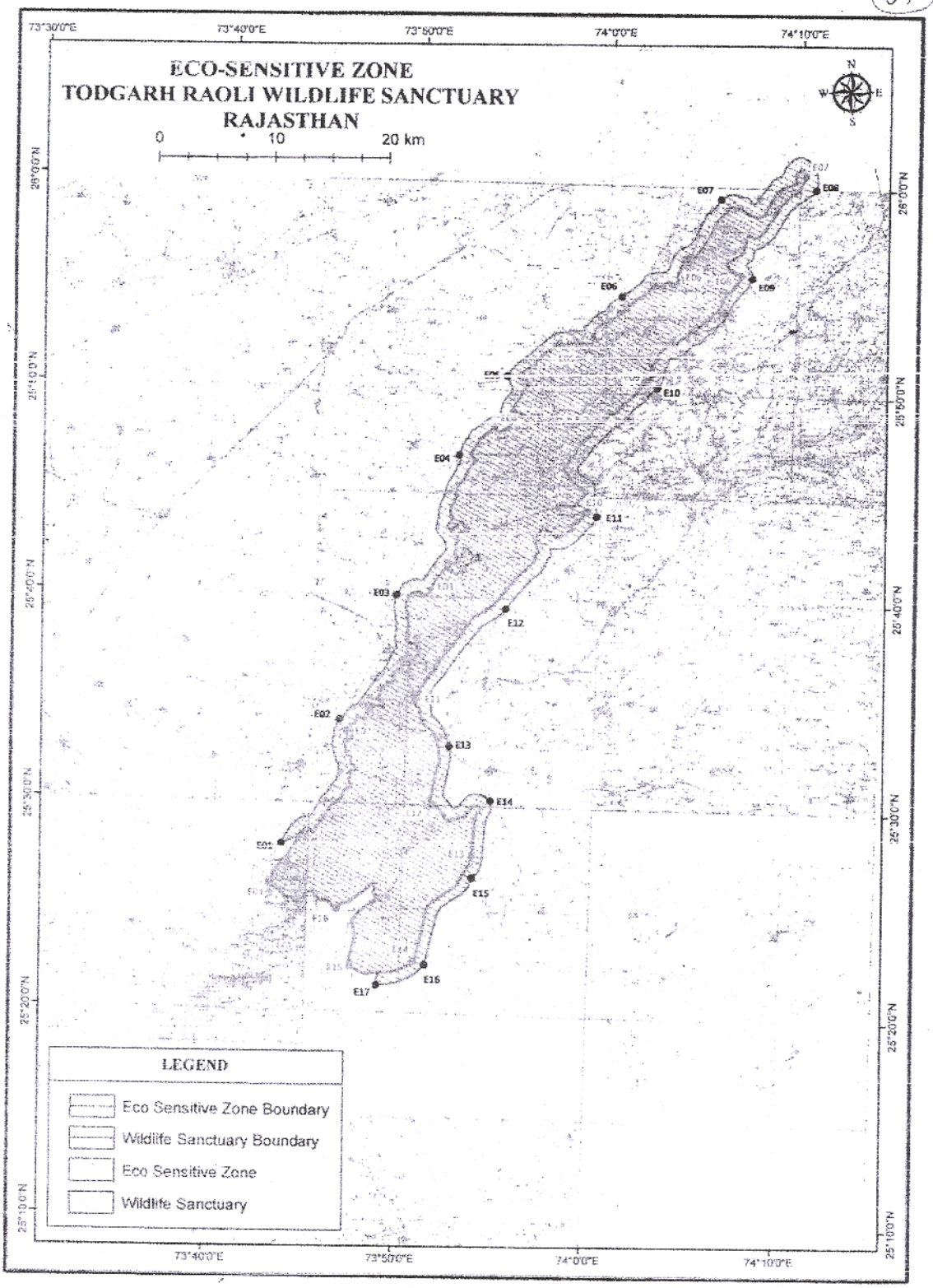

उपाबंध –I

पारिस्थितिक संवेदी जोन, टोडगढ़ रावली का सीमा विवरण

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन, टोडगढ़ रावली का सीमा विवरण :

उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन, अभयारण्य कि बाह्य सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र सिवाय दक्षिणी दिशा के जहाँ इसकी सीमा कुंभलगढ़ अभयारण्य से सामान सीमा बनाती है तक होगा ।

उपाबंध -II

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची			
क्र.सं.	गांवों के नाम	क्र.सं.	गांवों के नाम
1.	धनावतो का गुदा नगवी	31.	सिमात
2.	बरजलिया गुदा	32.	नई फूलाद
3.	भागावर	33.	सिरयारी
4.	बोरमिदा	34.	जिनजरदी
5.	रावतो का गुदा	35.	जेरकिया
6.	मयाला गुदा	36.	माता जी का खेड़ा
7.	रधजालर	37.	ओम जी का गुदा
8.	उपारली निम्बारी	38.	सरबरी बी
9.	निचाली निम्बारी	39.	पीतमपुरा
10.	तेलपुरा	40.	वीरावास
11.	सिन्चियावास	41.	डोल जी का खेड़ा
12.	बरातो का गुदा	42.	जीरन
13.	सारन	43.	सोलकियो का गुदा
14.	धाल (फुलद)	44.	ससारियास
15.	गागा का गुदा (II)	45.	मंधावारा
16.	हालावत	46.	भागलपुर
17.	राजी का गुदा	47.	कुबनथाल
18.	जूनी फूलाद	48.	मिलियो का खेड़ा
19.	गानवत	49.	पीताखेड़ा
20.	करवारा	50.	चुन्दी
21.	बासोत	51.	तरका
22.	धेलपुरा	52.	कल्यानपुर
23.	भगोरा	53.	चोकरिया
24.	गुदा भोपत	54.	जोजावर
25.	करनाल	55.	व्यपारी
26.	भोगाला	56.	सुर सिह का गुदा
27.	गगा का गुदा (I)	57.	कन्तलिया
28.	सादा कि धानी	58.	गोपीनाथ का गुदा
29.	दिगोत	59.	खखरिया
30.	वरदियामाली	60.	कयावला

61.	समरिया	102.	मथवावारा
62.	कोट सोलकियन	103.	हलेला
63.	नयागांव	104.	नरदास का गुदा
64.	कोलार	105.	बियाना
65.	पनौता	106.	देगाना
66.	संसारी I	107.	किशनपुरा
67.	संसारी II	108.	दरदरदा
68.	भागोल	109.	मंदवारा
69.	मगहानला	110.	छतरपुर
70.	सुर सिह का गुदा	111.	कचबली
71.	कमले	112.	सिरोला
72.	कमली	113.	सिपली
73.	असान	114.	छेला
74.	कमलीघाट	115.	मोनागुदा
75.	बुधवास	116.	बगाना
76.	सबदरी	117.	बरजल
77.	चितराई	118.	वाली
78.	चरदा	119.	लखागुड़ा
79.	तलवार	120.	तोरिया
80.	सिमर	121.	बगाद
81.	रघुनाथपुर	122.	अंतालिया
82.	तेगी	123.	कनियाना
83.	सुलिया	124.	खेरजामरा
84.	रद्रा का गुदा	125.	टेक का छोरा
85.	तोकारा	126.	जुथारा
86.	ननाना	127.	धोलिया
87.	तपालो का खेड़ा	128.	थोलिया
88.	उमराज	129.	टोडगढ़
89.	बस्सी	130.	दूधलिया
90.	गोदलिया	131.	मलानो कि बेर
91.	नारायण जी का बीरा	132.	मदरिया
92.	वुजारेल	133.	बोरी
93.	रोधियाना	134.	रामपुर
94.	नगरिया	135.	बाराल
95.	श्रवण	136.	कालाखेरी
96.	रनाता भगवानपुरा	137.	चिरयाबाद
97.	सातूखेड़ा	138.	जवाजा
98.	भगमल	139.	शिवनगर
99.	बामलहेरा	140.	देवखेडा
100.	देवल फतेहपुर	141.	खेरानबारा
101.	खोरमल	142.	खाखदा

143.	समदारिया	177.	नईखुरर्द
144.	रोदवास	178.	पुवरिया
145.	जूनापिस (धाकी)	179.	केलवास
146.	गजनाई	180.	कनकहिजारी
147.	खिरईया	181.	कनौत का बेर
148.	खरनी खेड़ा	182.	गुरजारगरमा
149.	बलातो का तालाब	183.	नदा
150.	हरियामली	184.	धरमतलाई
151.	खर खेड़ा	185.	कुण्डल
152.	गुदासयामा	186.	कडिप्पा
153.	गुदाचुतारा	194.	लाडुरई
154.	बड़ागुदा	195.	हिक्कन (कल्लाई)
155.	गुदा राम सिह	196.	हिक्कन का बारई
156.	हिरवास	197.	कलाईया
157.	सम्पा	198.	कहनपथ
158.	पिप्ली बावड़ी	199.	बगरी
159.	पल्लारी	200.	बेलपाना
160.	बिन	201.	सिरमा
161.	बनजारा	202.	कोट
162.	मिवासा	203.	सोभागपुरा
163.	गणेशपुरा	204.	गोवल
164.	घोलाघाटा	205.	चोकरी
165.	बारा चराहट	206.	देवा जी का गुदा
166.	गोगेला	207.	जवार्लिया
167.	लूनेटा	208.	नाथ जी का गुदा
168.	बारा खेड़ा	209.	नवा जी का गुदा
169.	अरनाली	210.	देवारो का गुदा
170.	कंकरोद	211.	कितेला
171.	बरखन	212.	कनकरिया
172.	अहसन	213.	खेरा
173.	देवलता	214.	बन्सा
174.	भगवानपुरा	215.	गुदा भगवालन
175.	निम्बारो खेड़ा	216.	बोरिया नदी
176.	नईकाला	217.	बालूपुरा

उपाबंध–III क

अक्षांशों और देशान्तरों के साथ टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

59

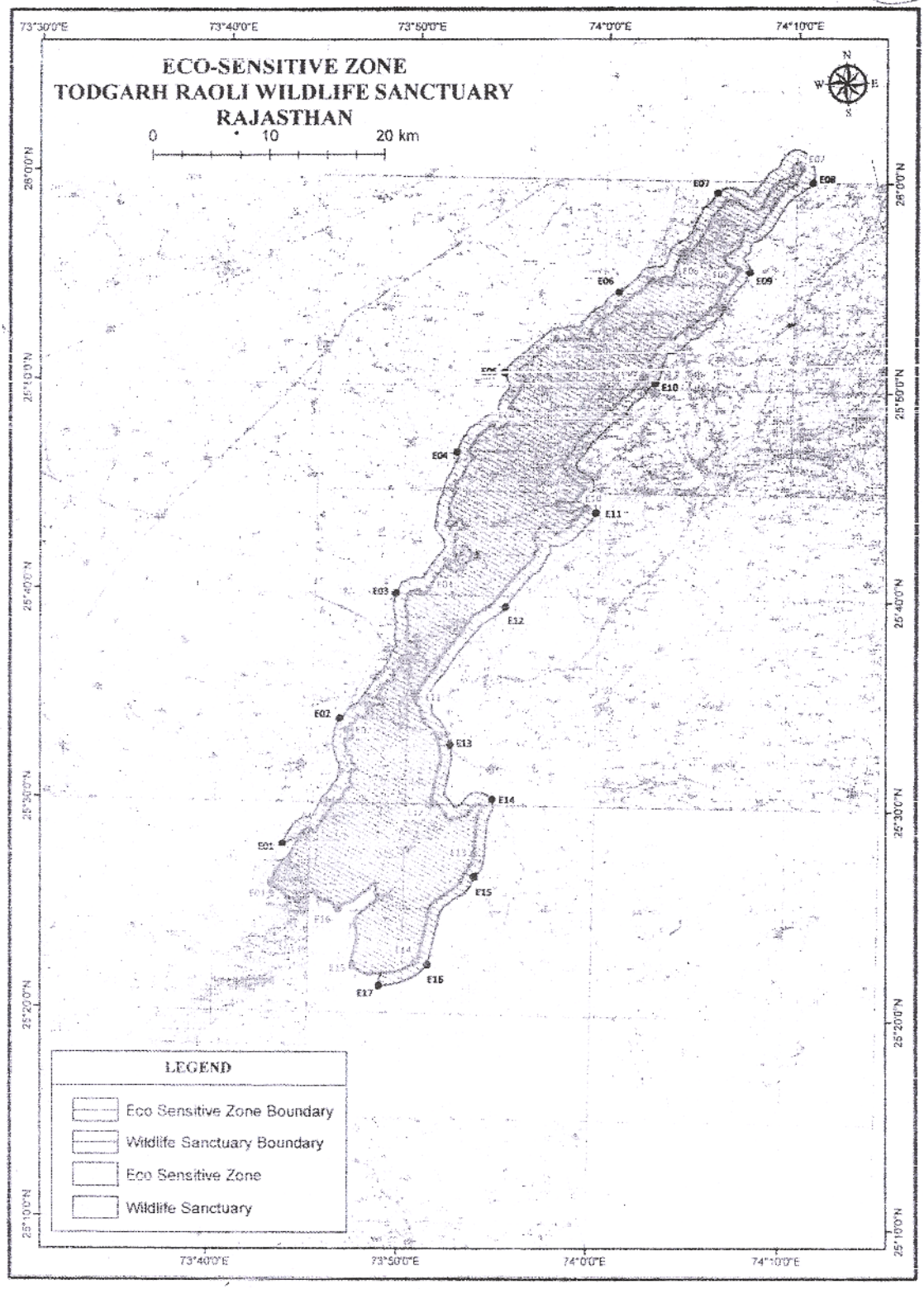

उपाबंध-III ख

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ-साथ बिन्दुओं के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	भौगोलिक स्थिति निर्धारण पद्धति	देशांतर	अक्षांश
1	पू 01	73° 43.008' पू.	25° 26.053' उ.
2	पू 02	73° 46.821' पू.	25° 33.485' उ.
3	पू 03	73° 51.953' पू.	25° 41.573' उ.
4	पू 04	73° 54.206' पू.	25° 48.199' उ.
5	पू 05	73° 57.509' पू.	25° 52.364' उ.
6	पू 06	74° 4.086' पू.	25° 56.596' उ.
7	पू 07	74° 10.292' पू.	26° 0.676' उ.
8	पू 08	74° 7.033' पू.	25° 55.787' उ.
9	पू 09	74° 2.234' पू.	25° 50.607' उ.
10	पू 10	73° 59.228' पू.	25° 44.290' उ.
11	पू 11	73° 50.411' पू.	25° 35.183' उ.
12	पू 12	73° 51.473' पू.	25° 30.001' उ.
13	पू 13	73° 53.730' पू.	25° 27.692' उ.
14	पू 14	73° 50.706' पू.	25° 22.462' उ.
15	पू 15	73° 47.385' पू.	25° 22.240' उ.
16	पू 16	73° 46.575' पू.	25° 24.952' उ.

टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के बिन्दुओं का निर्देशांक

क्र.सं.	भौगोलिक स्थिति निर्धारण पद्धति	देशांतर	अक्षांश
1	पू 01	73° 43.547' पू.	25° 27.983' उ.
2	पू 02	73° 46.450' पू.	25° 34.030' उ.
3	पू 03	73° 49.278' पू.	25° 40.057' उ.
4	पू 04	73° 52.358' पू.	25° 46.855' उ.
5	पू 05	73° 54.803' पू.	25° 50.705' उ.
6	पू 06	74° 0.765' पू.	25° 54.629' उ.
7	पू 07	74° 5.836' पू.	26° 59.452' उ.
8	पू 08	74° 10.879' पू.	25° 59.988' उ.
9	पू 09	74° 7.611' पू.	25° 55.669' उ.
10	पू 10	74° 2.795' पू.	25° 50.310' उ.
11	पू 11	73° 59.786' पू.	25° 44.057' उ.
12	पू 12	73° 55.112' पू.	25° 39.519' उ.
13	पू 13	73° 52.320' पू.	25° 32.865' उ.
14	पू 14	73° 54.624' पू.	25° 30.304' उ.
15	पू 15	73° 53.751' पू.	25° 26.571' उ.
16	पू 16	73° 51.364' पू.	25° 22.348' उ.
17	पू 17	73° 48.802' पू.	25° 21.311' उ.

3960 GI/15-4

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2015

S.O. 2542(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary lying between $73^0 2'$ to $73^0 30'$ East Longitude and $25^0 00'$ to $25^0 40'$ North Latitudes and situated in the Aravallis is one of the largest Sanctuaries of Rajasthan having an area of 475.235 Sq kms and falls within three revenue districts viz. Ajmer, Pali and Rajasamand and notified vide Government of Rajasthan Notification No.F II (56) Rev-Group-8/82, dated 28th September, 1983 under the provisions of section 18 (1) of the Rajasthan Wildlife Protection Act 1972.

And whereas, the forest area of the said Sanctuary falls under the Dry Tropical Forests as per Champion and Seth's classification. The various sub types along with their subsidiary edaphic and serial types recognised are Tropical Dry Deciduous Forest, Northern Tropical Dry Deciduous Forest, Northern Tropical Dry Mixed Deciduous Forest. The major tree species are Anogeissus pendula, Boswellia serrata, Butea, monosperma, Zizyphus mauritiana, and Acacia catechu etc.

And whereas, the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary has a varied habitat and diversified fauna and flora. The Sloth Bear, Leopard, Hyena, Jungle Cat, Wolf, Python, Chinkara, Grey Jungle Fowl etc. are important faunal species present in this Sanctuary.

And whereas, considerable adverse environment impact has been caused due to excessive degradation of the environment with excessive grazing, loss of tree cover soil erosion etc. and thereby endangering the natural resources of the said Sanctuary, and it's flora and fauna.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to an extent of 1 kilometers from the boundary of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 202.68 square kilometers with an extent of upto 1 kilometer from the boundary of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary, except on the southern side. The boundary description of said Zone is given in **Annexure-I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 193 villages falling in Ajmer, Pali and Rajasamand Districts of Rajasthan.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II.**

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes and GPS coordinates is appended as **Annexure III-A.**

(5) The details of GPS coordinates of the points along the boundary of the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-III B.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Rajasthan State Pollution Control Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department,
for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Government of Rajasthan shall prepare Zonal Master Plan for area under its jurisdiction.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Rajasthan in consultation with Department of Forests and Environment of the said State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(3) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(4) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(6) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(8) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(9) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(10) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(11) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.**- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
9.	Fishing.	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Orai & Todgarh Raoli dam.
10.	Use of Plastic carry bags.	Prohibited with immediate effect.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or

		pollution of water from any source including agriculture.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
27.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Can be permitted as per the provisions of the Zonal Master Plan or till then with the recommendation of the Monitoring Committee.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) District Collector, Rajasamand and Pali -Chairman

(ii) District level officers of the following departments: Public Work Department, Mining, Irrigation, Tourism, Police, Municipal Council, Industry, Uni Trust of India -Members

(iii) Regional Officer (RO) of the State Pollution Control Board -Member

(iv) Hon.Wildlife Warden Rajasamand -Member

(v) Representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member

(vi)	An expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of One year.	-Member
(vii)	A representative of Non-Government organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of One year	-Member
(viii)	Sub Divisional Officer Rajasamand/Pali	-Member
(ix)	Block Development Officer Rajasamand/Pali	-Member
(x)	Deputy Conservator of Forests, Pali / Rajsamand/Ajmer	-Member
(xi)	Deputy CF (WL), Rajasamand	-Member-Secretary

Terms of Reference:

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/53/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARIES OF TODGARH RAOLI ECO-SENSITIVE ZONE

1. **Boundaries of the proposed Eco-sensitive zone :**

(i) The said Eco sensitive zone covers the area of 1 kilometer wide strip from the outer boundary of the Sanctuary except the southern side where the boundary is common with the Kumbhalgarh sanctuary.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES FALLING IN THE ECOSENSITIVE ZONE OF TODGARH RAOLI WILDLIFE SANCTUARY

S. No.	Name of Villages	S. No.	Name of Villages
1	Dhanawato ka Guda Nagvi	41	Dol ji ka khera
2	Barjaliya Guda	42	Jiran
3	Bhagawar	43	Solankiyon ka Guda
4	Borimada	44	Sansariyas
5	Rawato ka Guda	45	Mandawara
6	Mayala Guda	46	Bhagalpura
7	Radjaler	47	Kuwanthal
8	Uparli Nimbari	48	Meliyon ka khera
9	Nichali Nimbari	49	Pithakhera
10	Telpure	50	Chundi
11	Sinchiyawas	51	Tarka
12	Baraton ka Guda	52	Kalyanpura
13	Saran	53	Chokariya
14	Dhal (Phulad)	54	Jojawar
15	Gaga ka Guda II	55	Vayapari
16	Halawat	56	Sur singh ka Guda
17	Raji ka Guda	57	Kanteliya
18	Juni Phulad	58	Gopinath ka Guda
19	Ganwet	59	Khakhariya
20	Karwara	60	Kayawata
21	Basot	61	Samariya
22	Dhelpura	62	Kot Solankiyan
23	Bhagora	63	Nayagaon
24	Guda Bhopat	64	Kolar
25	Karmal	65	Panota
26	Bogala	66	Sansari I
27	Gaga ka Guda I	67	Sansari IJ
28	Soda ki Dhani	68	Baol
29	Digot	69	Maghathala
30	Vardiyamali	70	Sursingh ka Guda
31	Simal	71	Kamle
32	Nayi Phulad	72	Kamli
33	Siryari	73	Ashan
34	Jinjardi	74	Kamlighat
35	Jorkiya	75	Bhudwas
36	Mata ji ka Khera	76	Swadri
37	Omji ka Guda	77	Chitrai
38	Swadri B	78	Charda
39	Pitampura	79	Talwara
40	Virawas	80	Simar

3960 GI/15-6

S. No.	Name of Villages	S. No.	Name of Villages
81	Ragunathura	128	Thoiya
82	Tegi	129	Tadgarh
83	Suliya	130	Dudaliya
84	Ratna ka Guda	131	Malaton ki Ber
85	Tokara	132	Merdiya
86	Nanana	133	Bori
87	Tapalo ka khera	134	Rampura
88	Umraj	135	Beral
89	Bassi	136	Kalakheri
90	Gundliya	137	Chiriyabad
91	Narayan ji ka Bira	138	Jawaja
92	Bujarel	139	Shivnagar
93	Rodiyana	140	Devkhera
94	Negariya	141	Kheranabara
95	Sarwan	142	Khakhara
96	Ratnata Bhagwanpura	143	Samdariya
97	Satukhera	144	Rodawas
98	Baghmal	145	Junapiss (Dhakhi)
99	Bamanhera	146	Gajnal
100	Deval Fatehpur	147	Khiriya
101	Khormel	148	Kharni Khera
102	Mathuwara	149	Balaton ka talab
103	Halela	150	Hariyamali
104	Nardas ka Guda	151	Kerkhera
105	Biyana	152	Gudashyama
106	Degana	153	Gudachutara
107	Kishanpura	154	Baraguda
108	Dardarda	155	Guda Ram Singh
109	Mandawara	156	Hirawas
110	Chattarpura	157	Sampapa
111	Kachbali	158	Pipali bawari
112	Sirola	159	Palari
113	Pipali	160	Bin
114	Chela	161	Banjari
115	Motaguda	162	Mewasa
116	Bagana	163	Ganespura
117	Berjal	164	Dholadata
118	Bali	165	Bala Charahat
119	Lakhaguda	166	Gogeia
120	Toriya	167	Luneta
121	Baggad	168	Bara Khera
122	Antaliya	169	Arnali
123	Kaniyana	170	Kankrod
124	Kherajassa	171	Barkhan
125	Tank ka Chora	172	Ashan
126	Juthara	173	Devlata
127	Dholiya	174	Bhagwanpura

S. No.	Name of Villages
175	Nimbarikhera
176	Naikala
177	Naikhurd
178	Puwariya
179	Kelwas
180	Kanakhejari
181	Kanota ka ber
182	Gurjargma
183	Nada
184	Dharamtalai
185	Kundal
186	Kadiappa
194	Lamburi
195	Hikkan (Kalaliya)
196	Hikkan ka Bariya
197	Kalaliya
198	Kahanpath
199	Bagri
200	Belpana
201	Sirma
202	Kot
203	Sohbhagpura
204	Goval
205	Chokari
206	Devaji ka guda
207	Jawaliya
208	Nath ji ka guda
209	Naval ji ka guda
210	Dewaro ka guda
211	Kitela
212	Kankariya
213	Khera
214	Bansa
215	Guda Bhadawtan
216	Boriya nadi
217	Balupura

3960 GI/15-7

ANNEXURE-III A

Map of Eco-Sensitive Zone of Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary with latitudes and longitudes and GPS coordinates

59

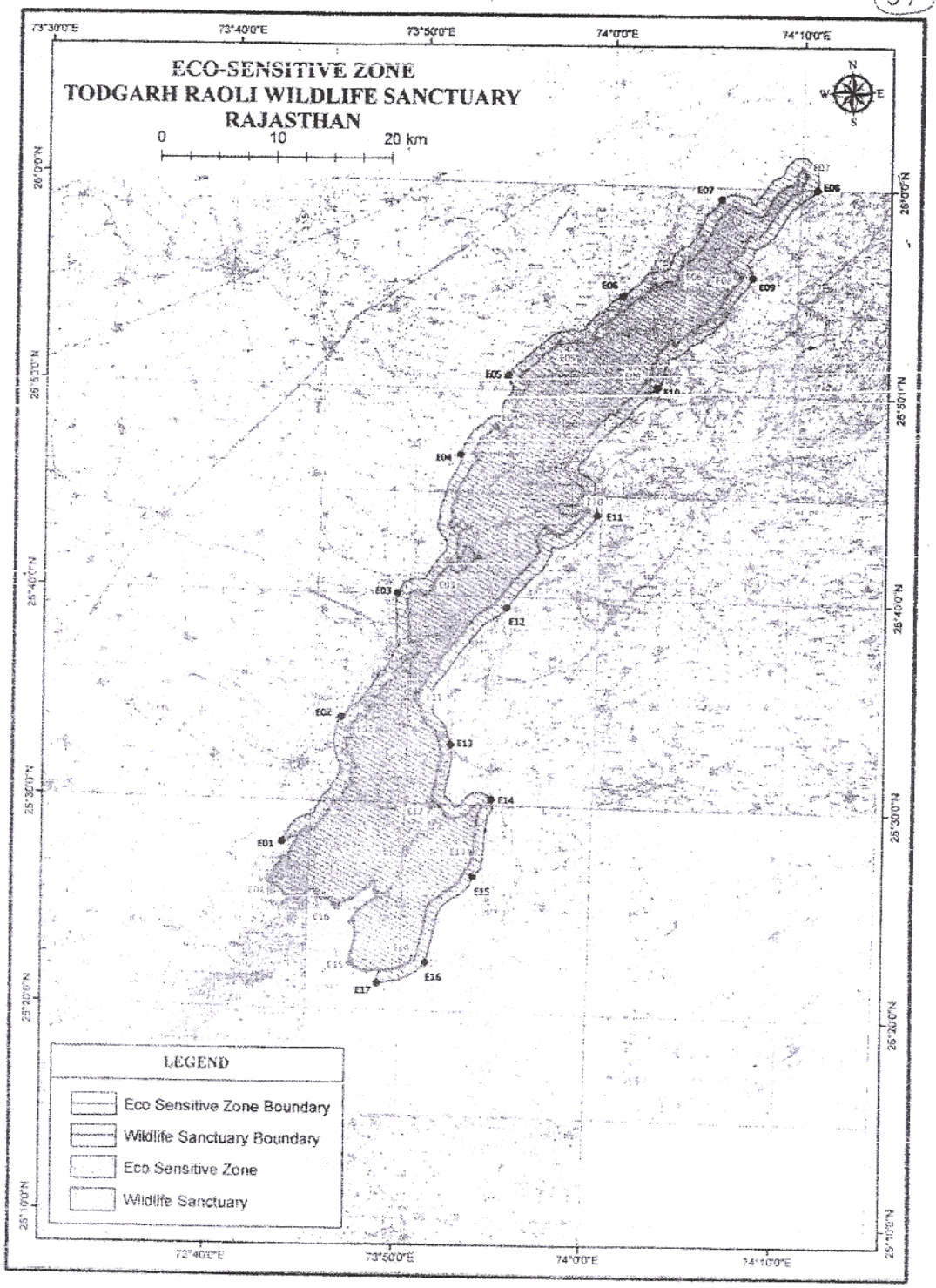

ANNEXURE-III B

GPS COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF TODGARH RAOLI WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO SENSITIVE ZONE

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Todgarh Roali WLS

Sl. No.	Gps	Longitude	Latitude
1	E01	73° 43.008' E	25°26.053' N
2	E02	73° 46.821' E	25°33.485'N
3	E03	73° 51.953' E	25°41.573' N
4	E04	73° 54.206' E	25°48.199' N
5	E05	73° 57.509' E	25°52.364' N
6	E06	74° 4.086' E	25°56.596' N
7	E07	74° 10.292'E	26°0.676' N
8	E08	74° 7.033'E	25°55.787'N
9	E09	74° 2.234'E	25°50.607'N
10	E10	73°59.228'E	25°44.290'N
11	E11	73°50.411'E	25°35.183'N
12	E12	73°51.473'E	25°30.001'N
13	E13	73°51.473'E	25°27.692'N
14	E14	73° 50.706'E	25°22.462'N
15	E15	73°47.385'E	25°22.240'N
16	E16	73°46.575'E	25°24.952'N

GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Todgarh Roali WLS

Sl. No.	Gps	Longitude	Latitude
1	E01	73° 43.547' E	25°27.983' N
2	E02	73° 46.450' E	25°34.030'N
3	E03	73°49.278' E	25°40.057' N
4	E04	73° 52.358' E	25°46.855' N
5	E05	73° 54.803' E	25°50.705' N
6	E06	74° 0.765' E	25°54.629' N
7	E07	74° 5.836'E	25°59.452' N
8	E08	74° 10.879'E	25°59.988'N
9	E09	74° 7.611'E	25°55.669'N
10	E10	74°2.795'E	25°50.310'N
11	E11	73°59.786'E	25°44.057'N
12	E12	73°55.112'E	25°39.519'N
13	E13	73°52.320'E	25°32.865'N
14	E14	73° 54.624'E	25°30.304'N
15	E15	73°53.751'E	25°26.571'N
16	E16	73°51.364'E	25°22.348'N
17	E17	73°48.802'E	25°21.311'N

Annexure IV

Performa of Action Taken Report:-Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006
   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.